छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1401/2005

याचिकाकर्ता	:	छत्तीसगढ़ अवसंरचना विकास निगम, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी, पंजीकृत कार्यालय शास्त्री चौक, रायपुर, द्वारा प्रबंध निदेशक, सीआईडीसी, रायपुर।
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	1) श्री आनंद कुमार अग्रवाल, पिता स्व. श्री विनायक प्रसाद अग्रवाल, निवासी पुरानी बस्ती, बनियापारा, रायपुर(छग) 2) उपदान का संदाय अधिनियम, 1972 के तहत अपीलीय प्राधिकारी सह उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़, गीतांजलि नगर, रायपुर, छ०ग०। 3) मध्य प्रदेश सड़क परिवहन द्वारा प्रबंध निदेशक, हबीबगंज, भोपाल (म० प्र०)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रस्तुत याचिका।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

रिट याचिका क्र. 1401/2005

दिनांक 3-7-2006

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के लिए श्री प्रदीप सक्सेना, अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादी क्र. 1 के लिए श्री भरत राजपूत, अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादी क्र. 3 के लिए श्री संजय पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से जवाबदावा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

अंतिम निराकरण के लिए पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस याचिका में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि यदि नियोक्ता उपदान संदाय अधिनियम , 1972 (संक्षेप में अधिनियम , 1972) की धारा 4 (4) के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित उपदान राशि को विस्तारित परिसीमा अवधि सहित परिसीमा अवधि के बाद जमा करता है, तो क्या उस अपील को कालवर्जित माना जाएगा ?

संक्षिप्त तथ्य जिसके आधार पर इस रिट याचिका को दायर किया गया है, यह है कि उत्तरवादी क्र. 1, उत्तरवादी क्र. 3 अर्थात एमपीएसआरटीसी में लेखाकार के रूप में कर्मचारी था। उत्तरवादी क्र. 1 की सेवाओं को दिनांक 30 अप्रैल, 2002 को समाप्त कर दिया गया था, जिसे श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और मामला अभी भी वहां लंबित है। इस बीच, उत्तरवादी क्र. 1 दावेदार ने नियोक्ता को उपदान के भुगतान के लिए निर्देश देने के लिए अधिनियम, 1972 की धारा 7 के तहत नियंत्रण प्राधिकरण, राजनांदगांव से निवेदन किया। नियंत्रण प्राधिकारी ने अपने

आदेश दिनांक 14–5–2003 के तहत उत्तरवादी क्र. 1 दावेदार को देय उपदान की राशि के रूप में 1,57,535 / – रुपये की राशि अभिनिर्धारित की और यह भी निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता 30 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करे। याचिकाकर्ता ने यहाँ दिनांक 6–6–2003 को उक्त आदेश की प्रति प्राप्त की और दिनांक 14–7–2003 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। तथापि, याचिकाकर्ता ने यहाँ उपादान राशि दिनांक 16–2–2004 को जमा की। अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तरवादी क्र. 1 की आपत्ति पर अपने आदेश दिनांक 17–3–2005 के तहत यह अभिनिर्धारित किया कि अपील दाखिल करना उस तारीख को माना जाएगा जब उपदान राशि जमा की गई थी अर्थात 16–2–2004 को, इसलिए अपील 8 महीने 10 दिन के बाद दाखिल की गई थी, इस प्रकार अपील 4 महीने 10 दिन के विलंब से दाखिल की गई थी और अपील को कालवर्जित मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका के माध्यम से उसी आदेश की औचित्यता, वैधानिकता और शुद्धता को प्रश्नाधीन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को दिनांक 6–6–2003 को उपलब्ध कराई गई थी और उसने दिनांक 14–7–2003 को अपील दाखिल की, इसलिए, समय के भीतर अपील दाखिल किया गया था। भले ही उपादान राशि दिनांक 16–2–2004 को जमा की गई हो, परंतु उसे अपील दायर करने की तिथि नहीं माना जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अपील पहले ही दिनांक 14–7–2003 को दायर की जा चुकी थी।

दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपूत ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (7) के दूसरे प्रावधान के अनुसार,

उपादान के भुगतान के बाद ही अपील पर विचार किया जाना है एवं उसे स्वीकार किया जाना है। अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (7) के दूसरे परंतुक के अनुसार , याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित था कि याचिकाकर्ता ने उपधारा (4) के अधीन जमा की जाने वाली उपदान की राशि के बराबर राशि अपने पास जमा कर दी है , या अपीलीय प्राधिकारी के पास ऐसी राशि जमा कर दी है । इसलिए, राशि जमा किए बिना, अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार अपील दायर नहीं की जा सकती है। इन परिस्थितियों में अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के कालवर्जित होने के कारण उसे उचित रूप से ख़ारिज किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का परिशीलन किया है। संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्याङ्कन करने के लिए अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप–धारा (7) के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा, जो अपील दायर करने से संबंधित है:–

> "(7) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को, अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :
>
> परन्तु यदि, यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा :
>
> परन्तु यह और भी कि नियोजक की कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपील करने के समय अपीलार्थी या तो नियंत्रक प्राधिकारी का इस भाव का प्रमाणपत्र पेश न करे कि अपीलार्थी ने उसके पास इतनी रकम जमा कर दी है जो उपधारा (4) के अधीन

> जमा की जाने के लिए अपेक्षित उपदान की रकम के बराबर है, अथवा जब तक वह अपील प्राधिकारी के पास ऐसी रकम जमा नहीं कर देता ।

अधिनियम , 1972 की धारा 7 की उपधारा (7) के उपबंधों के अवलोकन से पता चलता है कि उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर समुचित सरकार या प्राधिकारी को अपील कर सकता है । धारा 7 की उपधारा (7) के प्रथम परंतुक में यह भी प्रावधान है कि यदि अपीलार्थी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसे अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था तो अपील दायर करने के लिए साठ दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है । धारा 7 की उपधारा (7) का दूसरा परंतुक यह भी उपबंध करता है कि किसी नियोजक द्वारा की गई कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील करते समय रकम जमा करने के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दिया जाए या रकम अपीलीय प्राधिकारी के पास जमा न कर दी जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मेरे विचार से, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कि अपील को केवल राशि जमा करने पर ही अंतिम माना जाएगा, अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ऊपर उद्धृत प्रावधान के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि उपधारा (7) का मुख्य प्रावधान अपील करने का निर्देश देता है , जबकि दूसरे परंतुक में यह परिकल्पना की गई है कि अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि नियंत्रक प्राधिकारी की राशि जमा करने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या राशि प्राधिकारी के पास जमा नहीं कर दी जाती है । अतः उप–धारा (7) और इसका दूसरा परंतुक भिन्न परिस्थितियों से संबंधित है। उपरोक्त प्रावधान अर्थात धारा 7 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या यह है कि

कोई व्यक्ति राशि जमा किए बिना भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। धारा 7 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन सृजित वर्जन यह है कि अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील दाखिल करने की तिथि को जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाए या अपील प्राधिकारी के पास राशि जमा न कर दी जाए। इसलिए, अपील की स्वीकृति राशि जमा होने तक स्थगित की जा सकती है। यदि राशि विलंब से जमा की गई हो तो भी अपील उसी तिथि को दायर मानी जाएगी जिस दिन वह दायर की गई थी।

यह सत्य है कि राशि जमा करना अपील स्वीकार करने के लिए एक पूर्व शर्त है, परंतु अधिनियम, 1972 की धारा 7 (7) के प्रावधानों के तहत अपील करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस संबंध में, अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (7) की व्याख्या के संबंध में प्रश्न, **जनपद पंचायत मस्तूरी, बिलासपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी और उप श्रम आयुक्त एवं अन्य 1998 III एलएलजे (सप्लीमेंट) एचसी 163** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आया था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने आदेश दिनांक 31 दिसंबर, 1992 के विरुद्ध अपील की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया था कि अपीलार्थी उपदान की राशि जमा करने या उसके जमा होने संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा था। तथापि, बाद में, राशि जमा की गई और अपीलार्थी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को आवश्यक जमा करने का अवसर दिए बिना अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का हकदार नहीं था। न्यायालय ने तर्कों को स्वीकार कर लिया और आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता अपेक्षित जमा राशि या अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के दूसरे परंतुक के

अनुसार प्रमाण पत्र के साथ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करे और तत्पश्चात अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को उचित नोटिस देने के पश्चात अपील की स्वीकृति पर विचार करे और गुण–दोष के आधार पर उसकी सुनवाई करे।

पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अधिनियम, 1972 की धारा 7 (7) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, यह अपास्त किये जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अपील का निर्णय उसके गुण–दोष के आधार पर करें। पक्षकारों को दिनांक **21 अगस्त, 2006** को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि अपीलीय प्राधिकारी दिनांक 21 अगस्त, 2006 से तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति परसों तक अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करे।

उपरोक्त निर्धारणों और निर्देशों के साथ, याचिका का निराकरण किया जाता है।

परिणामस्वरूप, एम. (डब्लू.) पी. क्र. 1342/2006 और आई.ए. क्र. 1560/2006 को भी निराकृत किया जाता है।

पक्षकार इस आदेश की प्रमाणित प्रति के हकदार हैं।

सही/-
एल. सी. भादू

न्यायाधीश

सोमा

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur